



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation  
आई.एस.सी. ऑफिस 9001-2000 प्रमाणित ISO 9001-2000 certified  
पंचदेव शवान, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली 110002  
Panchdeep Shawan, CIG Road, New Delhi-110002

[www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in)

संख्या: ए-24/14/1/स.नि./2010-स्था.1

दिनांक 11 जून, 2012

### ज्ञापन

विषय: दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रेड वेतन 4800/-रु.के साथ वेतन बैंड-2 (9300-34800/-रु.) में सहायक निदेशक/प्रबंधक ग्रेड-1/अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में अधिकारियों की अनंतिम पदक्रम/वरिष्ठता सूची।

दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार सहायक निदेशक/प्रबंधक ग्रेड-1/अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में पदक्रम में वरिष्ठता सूची सभी संबंधितों को सूदनार्थ परिचालित है। क्रम संख्या 1 से 118 तक के सामने दर्शायी गई अधिकारियों की वरिष्ठता सूची कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-24/14/1/स.नि./2010-स्था.1 दिनांक 13.07.2011 और ज्ञापन संख्या ए-24/14/1/स.नि./2010-स्था.1 दिनांक 02.01.2012 के द्वारा पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

क्रम संख्या 119 से 313 के सामने दर्शायी गई अधिकारियों की वरिष्ठता स्थिति अनंतिम है। निर्दिष्ट वरिष्ठता स्थिति या अनंतिम वरिष्ठता सूची में दर्शाए गए अन्य विवरण के संबंध में त्रुटि या आपत्ति के लिए अभ्यावेदन, यदि कोई है तो इस ज्ञापन के जारी करने की तिथि के 30 दिन के अंदर भेजे जा सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और वरिष्ठता सूची तदनुसार अंतिम मानो जाएगी।

(दीपक जोशी)

संयुक्त निदेशक(स्था.1)

सेवा में,

1. नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारी।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक स्था-5, मुख्यालय/आयुक्त(रा.प्रशि.अका.), सभी उप क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रभागीय कार्यालयों के निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, नि(चि.)दि, नि(चि.)नोएडा, निदेशक(परिवार कल्याण)नई दिल्ली, निदेशक, क.रा.बी.अस्पताल के.के.नगर, चेन्नै, सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.अस्पताल/क.रा.बी.आदर्श अस्पताल, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त, सभी क.रा.बी.नि. दंत्य महाविद्यालय/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान-को इस निवेदन के साथ कि वरिष्ठता सूची की छायाप्रतियां कराएं और इसकी प्रति संबंधित अधिकारी को उचित पावती के साथ प्रदान करें। पावती की प्रति रिकार्ड हेतु मुख्यालय प्रेषित करें।
3. उप निदेशक (वेबसाइट सामग्री प्रबंधक) को वरिष्ठता सूची वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। (WCM)
4. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां।

संयुक्त निदेशक(स्था.1)